भारतीय लोकतंत्र – ''समसामयिक वास्तविकताएँ एवं चुनौतियाँ

*डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मीणा

शोध सारांश

भारतीय लोकतंत्र – विकास एवं व्यावहारिक पक्ष

वर्तमान में, विश्व के महान लोकतांत्रिक देशों में से भारत भी एक है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए भारत का एक प्रमुख उद्देश्य इसे लोकतांत्रिक बनाना था। जैसा कि पण्डित नेहरु ने 14 अगस्त 1947 की अर्द्ध रात्रि के समय कहा था कि – ''बहुत वर्ष हुए, हमने भाग्य से एक सौदा किया था और अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने का समय आया है।'' जनवरी 1938 में उन्होने लिखा था कि ''राष्ट्रीय कॉंग्रेस का उद्देश्य स्वतंत्र व लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना है।''

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् 1952 में व्यस्क मताधिकार के आधार पर प्रथम आम चुनाव हुए थे, उस समय मतदाताओं की संख्या 17 करोड़ 30 लाख थी जो वर्तमान में बढ़कर 71.4 करोड़ के लगभग हो गई है। 1952 से 2018 तक लोकसभा के आयोजित 17 लोकसभा चुनावों व राज्य विधानसभाओं के हुए चुनावों में उत्तरोत्तर राजनीतिक व्यवस्था को शक्ति और स्थायित्व प्रदान कर भारीतय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है।

1947 से 2019 तक यदि भारतीय लोकतंत्र के विकास का विश्लेषण किया जाए तो यह विकास दो पक्षों के आधार पर विश्लेषित किया जा सकता है।

1. **सकारात्मक पक्ष (सबल पक्ष)**
2. **नकारात्मक पक्ष (निर्बल पक्ष)**

1. सकारात्मक पक्ष (सबल पक्ष)

सकारात्मक दृष्टिकोण से यदि हम भारत के लोकतंत्र का विश्लेषण करें तो यह पाएंगे कि लोकतांत्रिक विकास कई विविध आधारों पर हुआ है। देश में संसदीय लोकतंत्र की जड़ें जम रही है। जैसा कि ' मोरारजी देसाई ने अपनी पुस्तक ''भारत में संसदीय लोकतंत्र'' में लिखा था कि ''देश के सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ खामियाँ दिख पड़ती हैं, पर इसका कारण यह कहना ठीक नहीं कि संसदीय जीवन के सूत्र टूटने लगे हैं।'' भारत में संसदीय लोकतंत्र की बुनियादी धारणाओं का निरन्तर पालन हुआ है। समाज के विविध वर्गो को राजनीतिक व्यवस्था में स्थान मिला है। 1977, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2004, 2009, 2014 यहाँ तक कि 2018 के चुनाव भारत की जनता के लोकतांत्रिक जीवन में गहरी आस्था राजनीतिक परिपक्वता और जागरुकता की परिचालक हैं। यह तथ्य भारत के संसदीय लोकतंत्र का सबसे पक्ष है।

डॉ. सुभाष कश्यप ''भारतीय मतदाता और राजनीतिक संरचना'' में लिखते हैं कि ''भारतीय मतदाता अपने देश की राजनीतिक संरचना के प्रवाह को बदल सकता है। यही तथ्य लोकतंत्र का सार और आधार है।''

- **मजबूत लोकतंत्र :–**

  भारतीय संसदीय लोकतंत्र की प्रमुख सबलता भारत की संसद है जो राष्ट्रीय महत्व के अनेक प्रश्नों और समस्याओं के समाधान में अहम् भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए लोकपाल विधेयक को जब संसद के शीतकालीन अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया तो विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने वैचारिक मंथन द्वारा अपनी प्रभावी भूमिका का उदाहरण प्रस्तुत किया ।

- **धर्मनिरपेक्षता :–**

  भारत के धर्म निरपेक्ष रूप के कारण भारतीय समाज के सभी अल्पसंख्यकों को बिना धार्मिक भेदभाव के लोकतांत्रिक पद्धति में भाग लेने का अवसर मिलता है।

- **नियोजित आर्थिक विकास :–**

  आर्थिक क्षेत्र में भी लोकतांत्रिक स्वरुप होने के कारण नियोजित आर्थिक विकास का सूत्रपात हुआ है। गरीबी व आर्थिक विषमता पर अंकुश लगा है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है।

- **विकेन्द्रीकरण में वृद्धि :–**

  पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के कारण विकेन्द्रीकरण में वृद्धि हुई है और पंचायतों की महत्वपूर्ण भागीदारी बढ़ी है।

- **लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना :–**

  लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना ने देश की समस्त जनता को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय की स्थिति प्रदान की है।

- **लोकतांत्रिक नेतृत्व का विकास :–**

  भारतीय लोकतंत्र को नेतृत्व प्रदान करने में करिश्माई व प्रभावी जन नेता व प्रधानमंत्री जैसे पं नेहरु, लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, अटल बिहारी वाजपेयी, सोनिया गाँधी, मनमोहन सिंह, नरेन्द्र मोदी की भी अहम् भूमिका भारतीय लोकतंत्र के विकास में देखी जा सकती है।

- **विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता :–**

  भारतीय लोकतंत्र में विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के कारण स्वस्थ राजनीतिक चर्चायें, लेख, समाचार जनता तक पहुँचते हैं जिससे जनता निष्पक्ष जनमत का निर्माण कर पा रही है। आजादी के बाद से आज तक इसका निरन्तर विकास हुआ है।

- **सामाजिक न्याय एवं सुशासन की स्थापना :–**

  भारतीय लोकतंत्र मौलिक व मानव अधिकारों को व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाला है। सामाजिक न्याय व सुशासन के सिद्धांतों को स्थापित कर रहा है।

- **लोकतंत्र में गुणवता एवं पारदर्शिता :–**

  भारतीय लोकतंत्र में गुणवत्ता, पारदर्शिता, कुशलता, प्रशिक्षित विशेषज्ञों की भूमिका, अतिनिध्यात्मक नियंत्रण व संगठन के श्रेष्ठ लक्षण भी देखे जा सकते हैं।

- **लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की स्थापना :–**

  लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने भीरत में लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत किया है। किसी भी दल की सरकार बने जनहित करना उनकी नीतियों की प्राथमिकता होती है क्योंकि राजनीतिक दल जानते हैं कि बिना जनकल्याण किए लोकतंत्र नहीं चल सकता।

- **कानून का शासन :–**

  भारतीय लोकतंत्र का सकारात्मक पक्ष यह भी है कि यहाँ कानून का शासन है। स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका है। इसी कारण आज भी लोकतंत्र तीव्रता से विकास कर रहा है।

- **जनता की राजनीतिक जागरुकता :–**

  एक सबसे सबल पक्ष भारतीय लोकतंत्र का है जो सही मायने में लोकतंत्र को विकसित कर रहा है, वह है भारतीय जनता का शिक्षित, जागरुक व सचेत होना। चुनावों में अक्सर देखा जा सकता है कि जनता नेताओं के भाषण सुनकर या प्रचार से प्रभावित होकर कहती चाहे कुछ भी हो लेकिन अपना मत उसे ही देती है जो वह चाहती है। जनता जानने लगी है कि उसे किसे मत देना है। अब वह न तो झूठे नारों व प्रचार के झांसे में आती है और न ही प्रलाभनों में। नेताओं द्वारा प्रलोभनवश दी गई सामग्री को यदि जनता रख भी ले, लेकिन मत उसी को देती है जिसे उसे देना चाहती है।

- **शांतिपूर्ण विदेश नीति :–**

  भारतीय लोकतंत्र का विकास इसलिए भी निरन्तर हुआ है कि हमारी विदेश नीति में विश्व कल्याण, विश्व शान्ति, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, गुटनिरपेक्षता, उपनिवेशवाद का विरोध, मैत्री, सहयोग इत्यादि अनेक सकारात्मक तत्वों का समावेश है। से तत्व भारत को न केवल आंतरिक व्यवस्था में वरन् अन्तर्राष्टीय स्तर पर भी प्रभवी व मजबूत बनाते है।

- **परिवर्तन और अनुकूलता की स्थापना :–**

  भारतीय लोकतंत्र परिवर्तन, सामंजस्य व अनुकूलता की क्षमता रखता है। परम्परा व आधुनिकता का सम्मिश्रण व्यवस्था में देखने को मिलता है। साधुता के लक्षणों से युक्त लोकतंत्र है। मूल्यों व नैतिकता पर आधारित लोकतंत्र का विकास हो रहा है। महात्मा गाँधी, विनोबा, जयप्रकाश नारायण इत्यादि के विचार आज भी राजनीति को प्रभावित व निर्देशित करते है।

हमारे पड़ौसी देशों में लोकतंत्र के विकास का असंतुलित व अनिश्चित क्रम देखा जा सकता है लेकिन भारत में चाहे अनेकों राजनीतिक समस्यायें हो जैसे– जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद, भ्रष्टाचार, भाषावाद, स्वस्थ राजनीति दलों व नेताओं से संबंधित कमियां, धन की राजनीति में बढ़ती हुई भूमिका, अपराधीकरण इत्यादि भारतीय राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव डालती हों लेकिन जिस भारतीय लोकतंत्र की नींव भारतीय संविधान ने 26 जनवरी 1950 को डाली थी उसी पर आधारित लोकतंत्र का भवन 2019 में भी उसी मजबूती व दृढ़ता से खड़ा है और भविष्य में भी और सुदृढ़ होगा। वर्तमान में भारत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन की प्रयोगशाला की भी भाँति है। संक्रमणकाल चल रहा है। परिस्थितियाँ तेजी से परिवर्तित हो रही हैं। इन परिवर्तित परिस्थितियाँ के कारण राजनीतिक संगठन और ग्रामीण भारत के सामाजिक ढ़ांचे की दूरी कम हो रही है। रजनी कोठारी के शब्दों में– ''भारत में हो रहा यह विकास भारतीय समाज के शक्ति संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन का परिचायक है।''भारतीय लोकतंत्र के शुभ लक्षण है कि आज भारत की जनता भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठा रही है। अन्ना हजारे के द्वारा शुरु किए गए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जन– आंदोलन व उसके लिए लोकपाल विधेयक की मांग इस बात का परिचायक है कि लोकतंत्र का विकास तीव्र गति से हो रहा है।

2. नकारात्मक या निर्बल पक्ष

भारत के लोकतंत्र को केवल सकाकरात्मक ही नही वरन् इसका नकारात्मक या निर्बल पक्ष भी है और जो चुनौतिपूर्ण है। कई स्थानों पर कानून व व्यवस्था की स्थिति अनियंत्रित भी हुई है। अविश्वास, अस्थिरता, अनश्चितता, निराशा लोकतंत्र में है। भारतीय जनता में भी लोकतंत्र को सफल बनाने की क्षमता नहीं है। शासन के दोषों का प्रतिकार नहीं कर सकती। संकीर्ण मनोवृति जनता के व्यापक दृष्टिकोण के विकास में बाधाक है।

- **सशक्त विरोधी दल का अभाव :–**

  स्वस्थ संसदीय लोकतंत्र के लिए सशक्त विरोधी दल आवश्यक है लेकिन इसका अभाव है। विरोधी दल रचनात्मक विरोध न करके दलीय हितों को ही अधिक प्राथमिकता देते है। विरोधी दल सत्तारुढ़ की आलोचना भी करें लेकिन सकारात्मक तरीके भी हों लेकिन इसका अभाव रहता है।

- **साम्प्रदायिकता का बोलवाला :–**

  भारतीय लोकतंत्र के विकास में साम्प्रदायिकता भी एक नकारात्मक तत्व है। फरवरी–मार्च 2002 का मंदिर मस्जिद विवाद के क्रम में गुजरात में हुई साम्प्रदायिकता हिंसा देश के लोकतंत्र को चुनौति थी। ऐसी अनेक घटनायें लोकतंत्र के मार्ग में बाधक है। सामप्रदायिकता पर आधारित राजनीति दलों का निर्माण गुटीय राजनीति मतदान व्यवहार आदि देखे जा सकते है। हाल ही के वर्षों में साम्प्रदायिकता घटनाओं में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है। जिसका खामयाजा समाज क्षेत्रीयता भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता पृथक राज्यों की मांग, अन्तर्राज्यीय झगड़ों, केन्द्र राज्य विवादों भाषावाद इत्यादि समस्याओं को जन्म देता है।

- **जातिवाद का बढ़ता प्रभाव :–**

  जातिवाद भी लोकतंत्र के लिए खतरा है। वोट की रानिीति जाति पर आधारित है। मतदाता उम्मीदवार की योग्यता की अवहेलना करता है और मत उसको देना पसन्द करता है जो उसकी जाति का है, चाहक वक अयोग्य ही क्यों न हो। वर्तमान में राजनीति में जातिवाद और बाहुबल का प्रभाव अधिक बढा है।

- **बढ़ती मंहगाई :–**

  मंहगाई ने देश की जनता की कमर तोड़ रखी है। मंहगाई के कारण गरीब जनता का जीना दूभर हो गया है।

- **भ्रष्टाचार :–**

  देश भ्रष्टाचार से ग्रस्त है। 'शेयर घेटाला', 'चीनी घोटाला', 'दूर–संचार निविदा घोटाला', 'हवाला काण्ड', 'चारा घोटाला' इत्यादि ने देश के आम नागरिक को लोकतंत्र के भविष्य के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। आज भ्रष्टाचार समाप्ति हेतु संसद में रखा जाने वाला लोकपाल विधेयक भी संकट में है।

- **हिंसा और आन्दोलन :–**

  हिंसा और आन्दोलन की घ्रण्ति राजनीति है। विधानसभाओं को भंग करवाने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डाला जाता है। अनु. 356 का दुरुपयोग राजनीति स्वार्थों के लिये किया जाता है। और निर्दोष लोगों को भुगतना पड़ता है। मोब लिचिगं की घटनाओं काफी सोचनीय और खतरनाक तस्वीर प्रस्तुत करती है।

- **अस्थिर राजनीति :–**

  राजनीति अस्थिरता व अनिर्णय की प्रवृत्ति से 1967 के चुनावों के बाद से राज्यों में मिली–जुली सरकारों का दौर है। केन्द्र मं भी अस्थिरता है व साझा सरकार ही बनती है। 1989 से 2014 के वर्ष में भारत में राजनीति अस्थिरता का दौर चल रहा है। जिससे लोकतंत्र का विकास बाधित होता है।

- **सकारात्मक संसदीय वाद विवाद का अभाव :–**

  संसदीय वा विवाद भी हमेशा उच्च स्तर के नहीं होते उसमें गुणात्मक ह्रास हुआ है। सांसदों व विधायकों में प्रतिभा, विद्वता व लगन का अभाव है।

- **केन्द्र और राज्यों में तनाव :–**

  केन्द्र व राज्यों में अलग–अलग दलों की सरकारों होने पर आपसी तनाव, परस्पर विरोध व विद्रोह की स्थिति बनी रहती है। जैसा कि डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी के अनुसार ''स्वतंत्रता के प्श्चात् विधायकों की गुणवता में ह्रास हुआ है। केन्द्र व राज्यों में अलग–अलग राजनीति दलों की सरकारों होने के कारण आपसी तनाव, परस्पर विरोध व विद्रोह की स्थिति बनती है जिससे प्रांतीयता व पृथकतावाद लोकतंत्र को कमजोर करते है।

- **बहुदलीय व्यवस्था :–**

  लोकतंत्र के विकास को बहुदलीय व्यवस्था ने भी क्षति पहुँचाई है। राजनीति दलों में तालमेल का अभाव है। गुटबाजी का बोलबाला है। सुदृढ़ राजनीति दलों का अभाव है राष्ट्रीय दल कम व क्षेत्रीय साम्प्रदायिकता दल अधिक है। जिनकी निश्चित विचारधारा नहीं है।

- **राजनीति में चाटुकारिता :–**

  भारत में मूल्यों की राजनीति की जगह सत्ता लोलुपता की रानीति का सूत्रपात हुआ है।

- **नौकरशाही की प्रभावशीलता :–**

  नौकरशाही के प्रभाव व शक्ति में असाधारण वृद्धि हुई है। भारत के लोकतंत्र में चोरबाजारी, मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी व भ्रष्टाचार में वृद्धि हुई है।

- **दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली :–**

  दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली है जिसके कारण योग्य व्यक्ति सत्ता में नहीं आ पाते । भारत के चुनाव व्यवसाय बन गए है। स्पष्ट बहुमत नहीं आता और मिलीजुली सरकार बनती है। धन व बल का प्रभाव रहता है। लोकतंत्र से निराश लोग हिंसा व अराजकता पर उतर आते हैं।

- **सामाजिक और आर्थिक असमानता :–**

  आज भी देश में आर्थिक व सामाजिक आधार पर असमानता व अन्याय पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। जातिवाद व सम्प्रदायवाद से भारत के लोकतंत्र को खतरा है। मत पाने के लिए राजनीति दल चुनावों में इन संकीर्ण मनोवृति की नीति अपनाने हैं। साथ ही केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति में वृद्धि और विधि के शासन की विफलता ने भी भारतीय लोकतंत्र के विकास के मार्ग का अवरुद्ध किया है।

- **चुनावों में बाहुबल का प्रयोग :–**

  चुनावों में बाहुबल का प्रयोग होता है। बाहुबल और धनबल आज राजनीति का केन्द्र बिन्दु बन चुके है। इसके कारण राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। राजनीति में बाहुबलियों का बोलबाला और वर्चस्व बढ़ता जा रहा है।

- **राजनीति का अपराधीकरण :–**

  वर्तमान में राजनीति का अपराणीकरण हो रहा है। भरतीय लोकतंत्र में कई प्रशासनिक दोष भी है जैसे– नौकरशाही, लालफीताशाही, अपारदर्शिता, अकुशलता , भर्ती प्रणाली में गुणवत्ता का अभाव, विशेषज्ञों की भूमिका का अभाव , सुशासन का अभाव है।

- **कथनी–करनी में अन्तर :–**

  भारत के नेतृत्व की कथनी व करनी में सदैव अन्तर होता है। देश का संविधान, कानून व व्यवस्थायें श्रेष्ठ हैं लेकिन उनका सुचारु रूप से पालन नहीं होने पर जनहित नहीं हो पाता। सर्वत्र स्वार्थपरता है।

- **जन–सहभागिता का अभाव :–**

  सर्वाधिक बड़ी बाधा लोकतंत्र के विकास में जनता की जागरुकता, सक्रियता, शिक्षा परिपक्वता व व्यापक दृष्टिकोण का अभाव होने से ही काम नहीं चलेगा। अक्सर देखा जाता है कि भारत का युवा वर्ग जिनके उपर देश के भविष्य की जिम्मदारी है वह भी निष्क्रिय रहता है।

- **जन–जागरुकता का अभाव :–**

  शिक्षित होने या उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेने मात्र से राजनीति क्षेत्र जागरुकता व चेतना विकसित नहीं हो पाती। इसके लिए जरुरी है कि देश का एक–एक नागरिक केवल मत देकर ही यह न भूल जाए कि उनकी इस लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी समाप्त हो गई है वरन् उसे तो हर वक्त, हर क्षण राजनीति जानकारी लेते हुए सक्रिय व जागरुक रहना है और व्यापक व परिपक्व दृष्टिकोण का परिचय देना है।

निष्कर्ष रूप में इन विभिन्न भारतीय लोकतांत्रिक विकास के सकारात्मक व नकारात्मक पक्षों के विश्लेषण के पश्चात् यह कहा जा सकता है कि चाहे हमारे लोकतंत्र में अनेक कमियां है लेकिन विभिन्न सबल पक्ष भी है जो इसे सुदृढ़ रूप से मजबूत बनाए हुए हैं। विश्व के विभिन्न देशों के लोकतंत्र में से भारत का लोकतंत्र एक है जो 1947 से आज

तक 72 वर्षों में निरन्तर विकास की चरम सीमा पर पहुँच रहा है। कमियां सभी देशों में किसी न किसी प्रकार से देखी जा सकती है, जैसा कि भारत में भी है। भ्रष्टाचार, आज यदि देश के लिए नासूर है तो इसको दूर करने के लिए जनता में जागरुकता भी आई है और जन आन्दोलन की चेतना भी एवं जिसका आधार भी अंहिसा पर आधारित है।

जैसा कि अँग्रजी के प्रसिद्ध युवा उपन्यासकार चेतन भगत ने अपने लेख में लिख है कि ''देश के नेताओं को अन्ना का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने जन भावनाओं का नेतृत्व शांतिपूर्ण ढंग से किया। यदि अन्ना का आंदोलन नाकाम हो जाता तो जनता से ज्यादा नुकसान नेताओं का होगा।''

भ्रष्टाचार निवारण हेतु अन्ना के नेतृत्व में भारतीय जनता में जो जागरुकता आई है वास्तव में वह भारतीय लोकतंत्र के विकास हेतु शुभ संकेत है।

लेकतंत्र के विकास में मीडिया की भी निरन्तर भूमिका रहती है। जनता टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्र–पत्रिकाओं , जनमंच व जन सम्मेलनो से निरन्तर राजनीति रूप से शिक्षित होता है तथा उनमें निरन्तर जागरुकता व सक्रियता आई है।

आई. बी. उन. 18 नेटवर्क के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई के अनुसार– ''मीडिया अनेक आंदोलनों का लाउडस्पीकर बना रहेगा। यशक्त नेता इस शोरगुल से व्यथित नहीं होगे और विवेकशील सिविल सोसाइटी कैमरा लैंसों के बिना भी समाज की मान्यता पाती रहेगी।'' अतः भारत में यदि सभी लोकतंत्र के विकास के तत्व विकसित हो जाए तो इसका पूर्ण विकास संभव है। जब तक भारत देश के सभी देशवासी व मीडिया जागरुक रहेंगे तो देश में लोकतंत्र का विचार हमेशा जलता रहेगा और प्रखर रोशनी करता रहेगा।

***सहायक प्रोफेसर**
लोक प्रशासन विभाग
एस.एस.जैन सुबोध पी.जी. महाविद्यालय
जयपुर (राज.)

संदर्भ सूची

1. मोरारजी देसाई – भारत में संसदीय लोकतंत्र,
   'लोकतंत्र समीक्षा जनवरी–मार्च 1969. पृ. 2–3
2. डॉ. सुभाष कश्यप – 'भारतीय मतदाता और राजनीतिक संरचना''
   दिनमान 6 सितम्बर, 1970 पृ. 6–7
3. रजनी कोठरी – 'भारत में राजनीति' पृ. 108
4. डॉ. लक्ष्मीमल्ल सिघंवी – 'भारतीय संसद, नई दृष्टि
   लेकतंत्र समीक्षा, जुलाई–सितम्बर 1971 पृ1. 151
5. चेतन भगत – 'किसका नफा किसका नुकसान'
   लेख–दैनिक भास्कर 29 दिसम्बर 2011
6. राजदीप सरदेसाई –'अन्ना मीडिया और सरकार'
   लेख–दैनिक भास्कर 30 दिसम्बर 2011